क्रमांक 4/3/78-6 जी0एस0-1

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त हिसार और अम्बाला मण्डल ।
सभी उपायुक्त और उप-मण्डल अधिकारी ।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय
और हरियाणा के सभी जिला एवं सैशन न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 21 फरवरी, 1979

विषय :—विवाहित महिलाओं के कुछ वर्गों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये निर्धारित आयु सीमा में छूट ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 6476-5जी0एस0-1-71/33370, दिनांक 25 नवम्बर, 1971 (जिसकी प्रति सलंग्न है) की ओर पुन: दिलाऊं और कहूं कि सरकार ने सलंग्न हिदायतों के अनुसार निम्नलिखित वर्गों की स्त्रियों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की हुई है :—

(1) विधवायें
(2) पतियों से कानूनी तौर पर अलग हुई महिलाएं
(3) तलाक शुदा महिलायें; और
(4) पतियों द्वारा छोड़ी हुई महिलायें ।

2. सरकार के ध्यान में आया है कि कई विभाग इन अनुदेशों की अवहेलना कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त श्रेणी की महिलाओं को सेवा ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है । अतः आपसे अनुरोध है कि इन अनुदेशों का दृढ़ता से पालन करें और अपने अधीन विभागों के ध्यान में भी यह बात पुन: ला दें ।

भवदीय
हस्ता/—
उप-सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।